



Neutral Citation No. – 2026:AHC:168523

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27859 वर्ष 2026

राजू पासवान

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रतिपक्षगणगण

आवेदक के अधिवक्ता : मनीषा चतुर्वेदी

प्रतिपक्षगण के अधिवक्ता : जी.ए., राम रक्षा तिवारी, शरद कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता सुश्री मनीषा चतुर्वेदी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए-। डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर में धारा 103(1) एवं 109 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 138 वर्ष 2025 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप के अनुसार आवेदक ने ईंट से चोट पहुंचाकर सूचनाकर्ता के पिता की हत्या की तथा मृतक के साथ मंदिर में रहने वाले अवधेश को भी चोट पहुंचाई, किन्तु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि सूचनाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई तथा अवधेश को चोट लगी, किन्तु बाद में घायल अवधेश की भी मृत्यु हो गई। अतः यह दोहरी हत्या का मामला है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवेचना के दौरान जब सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने बताया कि कथित घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब उसने आवेदक तथा उसके पिता अर्थात् सह-अभियुक्त लाला उर्फ चन्द्रशेखर पासवान को घटनास्थल से भागते हुए देखा।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान दर्ज अपने बयान में सूचनाकर्ता ने यह भी बताया कि घायल अवधेश ने अपनी मृत्यु से पूर्व उसे सूचित किया था कि आवेदक तथा उसके पिता ने उसे और मृतक को भी चोटें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पहुंचाई थीं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता का बयान प्रथम दृष्टया अत्यधिक अविश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन के विपरीत है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान विवेचक ने मृतक अवधेश के दूसरे पुत्र का भी बयान दर्ज किया और उसने भी बताया कि उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व आवेदक तथा सह-अभियुक्त लाला उर्फ चन्द्रशेखर पासवान का नाम बताया था। उसका बयान विवेचना के दौरान दर्ज सूचनाकर्ता के बयान से लगभग शब्दशः समान है और इसलिए उसका बयान भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में किसी ने भी वास्तविक घटना को नहीं देखा था, किन्तु बाद में सूचनाकर्ता यह कहने लगा कि मृतक अवधेश ने अपनी मृत्यु से पूर्व आवेदक का नाम बताया था और इसके बाद अवधेश के पुत्र ने भी इसी कथन को दोहराया। अतः प्रथम दृष्टया दोनों साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त लाला उर्फ चन्द्रशेखर पासवान, जो आवेदक के पिता हैं, को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था, किन्तु विवेचना के दौरान दर्ज साक्षियों के बयानों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि दोनों मृतकों पर किए गए हमले के संबंध में आवेदक का मामला उसके समान है। उसे इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उसका जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 14.5.2025 से अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. इसके विपरीत, विद्वान एजीए तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
13. यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि मामले का सूचनाकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
14. इसके अतिरिक्त, जब सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को बदलते हुए बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब उसने आवेदक तथा उसके पिता को घटनास्थल से भागते हुए देखा। उसने यह भी बताया कि मृतक अवधेश ने अपनी मृत्यु से पूर्व आवेदक तथा उसके पिता अर्थात् हमलावरों के नाम बताए थे। किन्तु चूंकि सूचनाकर्ता का यह बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए कथन के विपरीत है, इसलिए यह बयान प्रथम दृष्टया विश्वास उत्पन्न नहीं करता।
15. इसके अतिरिक्त, यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक ने मृतक-अवधेश के पुत्र का भी बयान दर्ज किया और उसने भी सूचनाकर्ता के कथन को दोहराया, किन्तु सूचनाकर्ता के बयान के आलोक में उसका बयान भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि उसका बयान सूचनाकर्ता के बयान से शब्दशः समान है तथा उसे सूचनाकर्ता के बयान के बाद दर्ज किया गया था।
16. अभिलेख से आगे यह भी परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक ने सूचनाकर्ता तथा मृतक-अवधेश के पुत्र के बयान दर्ज करने के बाद चार अन्य साक्षियों के बयान भी दर्ज किए और उन्होंने भी सूचनाकर्ता तथा मृतक-अवधेश के पुत्र के कथन को दोहराया। अतः उनके बयान भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में बल पाता है कि प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि वास्तविक घटना को किसी ने नहीं देखा था और बाद में सभी साक्षी यह कहने लगे कि मृतक अवधेश ने उनके समक्ष बताया था कि आवेदक ने अपने पिता के साथ मिलकर मृतक की हत्या की तथा उसे भी चोट पहुंचाई।

18. इसके अतिरिक्त, आवेदक के पिता लाला उर्फ चन्द्रशेखर पासवान को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था, किन्तु विवेचना के दौरान दर्ज साक्षियों के बयानों पर विचार करने से यह परिलक्षित होता है कि मृतक पर कथित रूप से किए गए हमले के संबंध में आवेदक का मामला उसके समान है और सह-अभियुक्त लाला उर्फ चन्द्रशेखर पासवान, अर्थात् आवेदक के पिता, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

19. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

20. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

21. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

22. आवेदक-**राजू पासवान** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

23. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

11 अगस्त, 2026

एसकेएम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”